न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :— राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 294/2017

1. मंगलसिंह पुत्र मालासिंह जाति रायसिख साकिन 6 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — प्रार्थी

—:: बनाम ::—

1. सुखचरणसिंह पुत्र मालासिंह जाति रायसिंख साकिन 6 बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. बलवन्तसिह पुत्र सेवकसिंह जाति रायसिख साकिन 6 बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।
4. बोड़सिंह पुत्र आत्मासिंह जाति जटसिख साकिन हिन्दुमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. प्रेमकुमार पुत्र माहीराम जाति अरोड़ा साकिन हिन्दुमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. अशोक कुमार पुत्र माहीराम जाति अरोड़ा साकिन हिन्दुमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

— :: निर्णय ::— **दिनांक :— 30.05.2018**

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पास चक 6 बी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 30 में 0.441 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 29 में 2.751 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 21 में 0.070 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 32 में 1.120 हैक्टर रकबा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है नकल नकल जमाबन्दी शामिल प्रार्थना पत्र है।

अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चक 6 बी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 21 में 0.024 हैक्टर तथा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम मुरब्बा नम्बर 32 में किला नम्बर 1, 2, 3, 4 में 100 हैक्टर रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी को अपनें खेत में जानें के लिये मुरब्बा नम्बर 21 में रास्ता है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 0.024 हैक्टर है प्रार्थी अपनें खेत में आसानी से जा सकता है। इसके अलावा ओर कोई सुविधाजनक रास्ता नहीं है।

अब अप्रार्थी के मन में बदनियति आ गई है इस बदनियति की वजह से वह उपरोक्त रास्ता 0.024 हैक्टर रकबा वह बन्द करनें की धमकियां दे रहा है यदि उसनें रास्ता बन्द कर दिया तो प्रार्थी को जानें के लिये कोई रास्ता नहीं होगा।

इसके अलावा और कोई नजदीक रास्ता नहीं है क्योकि राजस्व रिकार्ड में रकबा अप्रार्थी के नाम होने की वजह से वह धमकी दे रहा है इसलिये राजस्व रिकार्ड में रास्ता मन्जूर किया जाना अति आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अर्ज है, कि चक 6 बी बड़ी का मुरब्बा नम्बर 21 में 3/2, 8/2, 23/2 कुल 0.24 हैक्टर रास्ता मन्जूर करनें का आदेश फरमाया जावें

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, श्रीगगानगर से रिपोर्ट मंगवाई गई, प्रार्थी की मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 8 में मौका पर ढ़ाणी बनी हुई है ढ़ाणी में आनें जानें के लिये इस रास्ते के अलावा अन्य रास्ते का कोई सुविधा जनक विकल्प नहीं है, इस मुरब्बा नम्बर में पूर्व में कोई रास्ता स्वीकृत शुद्धा नहीं है और ना ही कोई प्रचलित रास्ता चल रहा है। प्रार्थी को अन्य खातेदारों की भूमि में से रास्ता दिया जाता है, तो प्रार्थी बदले भूमि/मुआवजा के सम्बध में प्रार्थी द्वारा डी.एल.सी. के अनुसार दुगनी राशि जमा करवानें के लिये सहमति शपथ पत्र लिया जाकर संलग्न किया गया है।

मुताबिक रिपोर्ट चक 7 सी प्रथम के खाता संख्या 36/43 का मुरब्बा नम्बर 27 का रकबा के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर नहरी रकबा मय खाला कृषि भूमि के संयुक्त खाता में से 0.703 हैक्टर रकबा नक्षत्रसिंह पुत्र बलबीरसिंह के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जबाब प्रस्तुत किया जबाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी नें अपनें चक 6 बड़ी के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 3/2, 8/2, 23/2 में अपनें हक व हिस्सा के रकबा 0.076 हैक्टर में से बजरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज बैयनामा के द्वारा पूर्ण प्रतिफल लेकर 0.024 हैक्टर रकबा दिनांक 26.02.2012 को मुझ अप्रार्थी को विक्रय किया गया था।

इस खातेदारी रकबा के सम्बंध में प्रार्थी द्वारा खाता विभाजन का एक दावा सहायक कलैक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर में अनवानी मंगलसिंह बनाम सुखचरणसिंह नम्बर मुकद्मा 51/2015 तारिख पेशी दिनांक 16.12.2015 विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी द्वारा खाता विभाजन का अनुतोष चाहा है अगर अप्रार्थी के इस रकबा में मौका पर रास्ता चल रहा है तो वह खाता विभाजन में रास्ता की मांग कर सकता था जिससे साफ जाहीर है, कि प्रार्थी स्वच्छ हाथों से हाजिर अदालत नहीं आया है। अप्रार्थी संख्या 2 बलवन्तसिह पुत्र सेवकसिंह का का नाम दर्ज किया है जबकि ना तो वह सहकाश्तकार है और ना ही किसी तरह से प्रभावित पक्षकार है फिर भी जानबुझकर अदालत को गुमराह करनें के लिये उसको पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थी द्वारा आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 6 बड़ी मुरब्बा नम्बर 21 किला नम्बर 3/2, 8/2, 13/2 18/2, 23, 22 में रास्ता स्वीकृत करनें का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 1, 2 में रास्ता चल रहा है, लेकिन रास्ता मन्जुर नहीं है इसलिये मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 1, 2 में भी रास्ता स्वीकृत किया जावे मुरब्बा नम्बर 21 किला नम्बर 1/1 में बोड़सिंह पुत्र श्री आत्मासिंह जाति जटसिख निवासी हिन्दुमलकोट तहसील श्रीगंगानगर तथा मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 2 में प्रेमकुमार, अशोक कुमार पिसरान माहीराम जाति अरोड़ा निवासी हिन्दुमलकोट एवम् गुरदाससिंह पुत्र श्री करतारसिंह जाति जटसिख निवासी हिन्दुमलकोट तहसील श्रीगंगानगर को पक्षकार बनाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 को बतौर अप्रार्थी के रूप में रिकार्ड पर लिया गया।

अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की विधिवत तामिल होनें पर भी असालत/वकालन उपस्थित नहीं आनें पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनांक 30.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हिन्दुमलकोट में आयोजित लोक अदालत के दौरान प्रकरण में भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट की गई जिसके अन्तर्गत कथन किया कि विचाराधीन प्रकरण में चक 6 बी बड़ी

(राजस्व)

के मुरब्बा नम्बर 21 किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 23 प्रत्येक में 0.014 हैक्टर कुल 0.070 हैक्टर संयुक्त खाते में मंगलसिंह 0.046, हैक्टर सुखचरणसिंह 0.024 हैक्टर पिसरान मानासिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसमें से रास्ता चाहा गया है उक्त रास्ता मौके पर चालू है।

भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का मौके पर भौतिक निरीक्षण किया गया दौरानें भौतिक निरीक्षण पाया गया कि चक 6 बी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 21 किला नम्बर 1, 2, 3, 8, 13, 18, 23 में मौके पर रास्ता चालु है। मुरब्बा नम्बर 21 किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 23 की कुल 0.070 हैक्टर भूमि प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी भूमि है जो मात्र रास्ते के उपयोग में ही आ रही है इस कारण प्रार्थी द्वारा 3, 8, 23 में संयुक्त खाते करी होनें के कारण स्वीकार किया जाना उचित नहीं होनें से मौके पर चालु रास्ता चक 6 बी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 21 किला नम्बर 1, 2, 3, 8, 13, 18, 23 प्रत्येक में 0.014 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायाचित पाया गया।

– :: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) व सपठित राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1955 की धारा 8 (2) के अन्तर्गत चक 6 बी बड़ी मुरब्बा नम्बर 21 किला नम्बर 1, 2, 3, 8, 13, 18, 23 प्रत्येक में 0.014 कुल 0.098 हैक्टर भूमि में गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। गैर मुमकिन रास्ता सार्वजजिक उपयोग हेतु रहेगा। स्वीकृत रास्ते में प्रार्थी की 0.046 हैक्टर भूमि को छोड़ कर शेष 0.052 हैक्टर भूमि का मुआवजा स्वरूप डी.एल.सी. दर दुगना प्रार्थी अप्रार्थीगण को अदा करेगा।

प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि के बदले मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाये जानें के उपरान्त राजस्व अभिलेख में रास्ता का अंकन किया जाकर सम्बंधित काश्तकार को तहसीलदार अपनें स्तर पर अप्रार्थीगण के हिस्सा अनुसार राशि का वितरण करना सुनिश्चित करेगें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 30.05.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हिन्दुमलकोट में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम
सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर